



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2252]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 11, 2017/श्रावण 20, 1939

No. 2252]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 11, 2017/SRAVANA 20, 1939

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2017

का.आ. 2568(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा केंद्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) को पुनर्गठित करती है और भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1330(अ) दिनांक 23 मई, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में क्र.सं. 25 पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

सदस्य

(घ) धारा 5क की उप-धारा(1) के खंड (घ) के अंतर्गत नियोक्ताओं के प्रतिनीधि:

25. श्री विजय पडते, नियोक्ता फेडरेशन ऑफ़ इंडिया

[फा. सं. वी-20012/1/2013-एस.एस.II]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : केंद्रीय न्यासी बोर्ड के पुनर्गठन सम्बन्धी मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 23 मई, 2013 के का.आ. 1330(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 के का.आ. 2724(अ) द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th August, 2017

S.O. 2568(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) the Central Government hereby reconstitutes the Central Board of Trustees (Employees' Provident Fund) and makes the following amendment in this Ministry's Notification published in the Gazette of India having No. S.O. 1330(E) dated 23rd May, 2013.

2. In the said Notification the following entries shall be substituted at Sl. No. 25, namely.—

MEMBERS

(d) Representatives of Employers under clause (d) of sub-section (1) of Section 5A.

25. Shri Vijay Padate, Employers' Federation of India.

[F. No. V-20012/1/2013-SS. II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Note : The principal notification reconstituting the Central Board of Trustees was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. 1330(E) dated the 23rd May, 2013 and last amended *vide* S.O. 2724(E) dated the 07th October, 2015.